Public Notice / PIB Note

Hon'ble Supreme Court of India constituted High-Powered Committee invites responses from public on matters relating to the Aravalli Hills & Ranges

It is for information of all stakeholders/public concerned that the Hon'ble Supreme Court of India vide its Order dated 25 May 2026 in Suo Motu Writ Petition (Civil) No. 10 of 2025 has constituted a High-Powered Committee (HPC) to examine matters related to the Aravalli Hills and Ranges and Ancillary issues and has directed to submit its comprehensive report to the Hon'ble Supreme Court before 31 August 2026.

Therefore, the HPC invites representations, suggestions and inputs from a wide range of stakeholders from the States of NCT of Delhi, Rajasthan, Haryana, Gujarat or any other such State(s); environmentalists; conservationists; not for profit organisations; mining lease holders; project proponents; villagers; farmers; mine workers and local communities whose livelihoods and wellbeing may be intrinsically linked to the ecosystem and biodiversity of the region and interested persons and entities who may be affected by, or have a legitimate interest in the issues under consideration.

Submissions from all stakeholders to the extent possible supported by documentary evidence or other verifiable material should be communicated through email at mshpcaravalli@gmail.com or through google forms specifically designed for the purpose (link: https://forms.gle/FpWwXBES5Gfr9bn16) within 21 days from the date of publication of this notice.

(Member Secretary)
High-Powered Committee

सार्वजनिक सूचना / पीआईबी नोट

भारत के माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित उच्चाधिकार प्राप्त समिति (एचपीसी), अरावली पहाड़ियों और पर्वतमालाओं से जुड़े मामलों पर जनता से प्रतिक्रियाएँ आमंत्रित करती है।

सभी संबंधित हितधारकों/जनता को सूचित किया जाता है कि भारत के माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 25 मई, 2026 के अपने आदेश पत्र (स्वतः संज्ञान रिट याचिका (सिविल) संख्या 10/2025) के माध्यम से एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति (एचपीसी) का गठन किया है। आदेशानुसार समिति को अरावली पहाड़ियों और पर्वतमालाओं तथा उनसे जुड़े अन्य मुद्दों की जॉच कर 31 अगस्त, 2026 से पहले माननीय सुप्रीम कोर्ट को अपनी विस्तृत रिपोर्ट सौंपना है।

अतः उच्चाधिकार प्राप्त समिति अरावली प्रदेशों यथा दिल्ली (एनसीटी), राजस्थान, हरियाणा, गुजरात या किसी अन्य संबंधित राज्य के हितधारकों, पर्यावरणविदों, संरक्षणवादियों, गैर–लाभकारी संगठनों, खनन पट्टा धारकों, परियोजना प्रस्तापकों, ग्रामीणों, किसानों, खदान श्रमिकों और स्थानीय समुदायों (जिनकी आजीविका और कल्याण इस क्षेत्र के पारिस्थितिकी तंत्र और जैव विविधता से गहराई से जुड़ी हो सकती है) से तथा उन इच्छुक व्यक्तियों और संस्थाओं से विचार एवं सुझाव आमंत्रित करती है जो इन मुद्दों से प्रभावित हो सकते हैं या जिनकी इनमें वैध रूचि है।

सभी हितधारकों से अनुरोध है कि वे अपनी बात दस्तावेजी सबूतों या अन्य सत्यापन योग्य सामग्री के साथ ईमेल (mshpcaravalli@gmail.com) या विशेष रूप से इसके लिए बनाए गए गूगल फॉर्म (link: https://forms.gle/FpWwXBES5Gfr9bn16) के माध्यम समिति को उपलब्ध करायें। लोगों के विचार एवं सुझाव इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 21 दिनों के भीतर भेजी जा सकती है।

(सदस्य सचिव)

उच्चाधिकार प्राप्त समिति